न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 325/2015

–: अनवान :–

जनाब अली पुत्र श्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी ढाबां झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

..... प्रार्थी

बमाम

1. अहमददीन पुत्र अलादित्ता जाति मुसलमान निवासी ढाबां झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. हलीमा पत्नी अहमददीन जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबां झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. हुसना } पुत्री अहमददीन जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबां झलार तहसील सूरतगढ़
4. राणी } जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. उप–पंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राकेश मनचन्दा, अधिवक्ता अप्रार्थी 1
3. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4
4. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 10.12.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी न. 1 प्रार्थी का पिता हैं वा अप्रार्थी न. 2 माता है तथा अप्रार्थी न. 3 व 4 सगी बहने है। प्रार्थी वा अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा आपस में खून का रिश्ता हैं। अप्रार्थी न. 1 अहमददीन पुत्र अलादित्ता के नाम चक 19 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) का खाता संख्या 5 का पत्थर नम्बर 18/290 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टेयर नहरी खातेदारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

प्र.सं. 325/2015

हैं जो पैतृक भूमि हैं, क्योंकि उक्त अलादित्ता पुत्र इदा माछी के नाम से दर्ज कागजात थी जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवंत 2024 ता 2027 के खाता संख्या 03 चक 13 एल.के.एस. में दर्ज थी चक परिवर्तन होने पर चक 19 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) में फिट हुई उक्त पत्थर नम्बर 18/290 की भूमि प्रार्थी के पिता को प्राप्त हुई शेष भूमि दादा के नाम से वा प्राथी के चाचा के नाम से अर्थात अलादित्ता के दूसरे पुत्र अहमददीन के भाई के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी का पिता पहले स्वंय काश्त करता था उसके पश्चात् शरीर से वृद्ध व अस्वस्थ होने से काश्त नहीं कर सकने के कारण भूमि मुझ प्रार्थी को काश्त हेतु दे रखी थी। प्रार्थी द्वारा पिछले दो तीन साल काश्त की व परिवार के सदस्यों की तमाम आवश्यकताएं पूरी करता था अब पिता द्वारा भूमि प्रार्थी से छीन ली वा अन्य रिश्तेदारों के कहने वा दवाब में आकर हिस्सा ठेका पर दे दी इससे घर में कलह होने लगा। प्रार्थी द्वारा एतराज भी किया कि प्रार्थी के पास आय का कोई साधन नहीं हैं, बेरोजगार हो जायेगा। पेट गुजारा स्वंय का वा परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण कैसे होगा, प्रार्थी की दो सगी बहिनें हैं जिन्हें घर पर बैठा रखा हैं, उनकी भी शादी बयाह करना हैं जिसं पर खर्च होगा। अप्रार्थी न. 1 जो कि परिवार के सदस्यों की कोई चिन्ता नहीं करता वा ना ही उसे घर को कैसे चलाना है, परिवार के सदस्यो के भरण पोषण वा अन्य जिम्मेवारियों से लापरवाह हैं वा उदासीन है, अन्य रिश्तेदारो के यहां रह कर खाना पीना करता है, रात दिन उसे कोई जिम्मेवारी का एहसास नहीं हैं, परिवार के सदस्यों की उसे कोई चिन्ता नहीं हैं। अप्रार्थी न. 1 के द्वारा किये जा रहे उदासीन रवैये के कारण प्रार्थी वा अप्रार्थीगण न. 2 ता 4 को इस बात की चिन्ता सता रही है कि वह किसी के दबाब में आकर भूमि को रहन, बैय, खुर्द बुर्द नहीं कर दें, यदि उसके द्वारा भूमि को अन्यत्र रहन बैय हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 ता 4 का जीवन दुभर हो जायेगा, सड़क पर आ जावेगें रोटी व कपड़ो के मोहताज हो जावेगें, भविष्य अंधकार मय हो जायेगा। इसी बात को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 के बीच में हमेशा कलह रहता है, अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा जब दिनांक 04.11.2015 को भूमि में से हिस्सा देने की बाबत कहा तो उसने स्पष्टतया भूमि देने से इन्कार कर दिया वा एलानियां कहा कि वह भूमि में एक इन्च भी हिस्सा नहीं देगा बल्कि भूमि को बेचान करेगा। इसलिए उसके खिलाफ प्रार्थी चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता हैं कि वह वाद अन्तर्गत भूमि को अन्यत्र रहन बैय खुर्द बुर्द नहीं करें। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 जो कि अप्रार्थी न. 1 के वारिसान है, उक्त पैतृक भूमि में हमारा जन्मजात हक व हिस्सा बनता हैं, प्रत्येक का 1/5 , 1/5 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता हैं प्रति न. 1 का भी उक्त पैतृक भूमि में 1/5 हिस्सा बनता हैं वह उक्त 1/5 हिस्सा से अधिक भूमि को अन्यत्र रहन, बैय, खुर्द बुर्द करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी अपने

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

प्र.सं. 325/2015

1/5 हिस्सा को कानूनन रूप से अदालत के माध्यम से सुरक्षित करवाना चाहता है व हिस्सा घोषित करवाना चाहता है। यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान या खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि चक 19 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) के खाता संख्या 5 का पत्थर नम्बर 18/290 का किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टेयर नहरी भूमि को ता फैसला वाद पत्र अन्यत्र रहन बैय खुर्द बुर्द नहीं करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील हाजिर आकर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा पैतृक रकबा है, प्रार्थी का घोषणात्मक वाद पत्र जैरकार हैं। दावा के निर्णय तक पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने कानूनी नजीर RBJ 2009 पेज 78 प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस मे अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी उसका पुत्र हैं। अप्रार्थी मुस्लिम हैं तथा मुस्लिम विधि से ही शासित होता आ रहा हैं। मुस्लिम विधि अनुसार अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमि का विधिक रूप से मालिक हूँ। मुस्लिम विधि में पैतृक भूमि या सम्पत्ति जैसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निरस्त किया जावे तथा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश भी निरस्त किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने कानूनी नजीरे RBJ 1999 पेज 362, RRD 1977 पेज 92, RAA द्वारा अपील संख्या 8/2008 अनवान मुमताज बनाम खुशींया वगै. मे दिनांक 12.01.2009 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। जमाबन्दी अनुसार जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी न. 1 के नाम से दर्ज है। जो पूर्व में अप्रार्थी न. 1 के पिता अल्लादिता के नाम से खातेदार दर्ज था। जहां तक मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति का कोई सिन्दात हैं या नहीं, सम्पति पैतृक हैं या नहीं, प्रार्थी को कोई अनुतोष दावा से मिलेगा अथवा नही, यह सब तथ्य दावा मे ही तनकी कायम होने के बाद व साक्ष्य आने के बाद ही तय हो पायेगे। परन्तु वाद पत्र के निर्णय से पूर्व ही अप्रार्थी न. 1 का भूमि बेचान कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ सकता हैं। इस स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखने न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

प्र.सं. 325/2015

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि जैरप्रकरण भूमि चक 19 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) के खाता संख्या 5 (जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71) के पत्थर नम्बर 18/290 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टेयर नहरी खातेदारी भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 रहन बेचान आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.16 12:14:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: